न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या : 28 / 2016
दायर दिनांक : 01 / 02 / 2022
निर्णय दिनांक : 07 / 01 / 2025

उनवान

1. घीसा गोदपुत्र रामा बलाई निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. रतनलाल पिता जेता बलाई निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
2. मु. घीसीबाई पिता जेता बलाई पति जगन्नाथ निवासी मोरवन तहसील डूंगला
3. मु. बरदीबाई पिता जेता बलाई पति घासीराम बलाई निवासी भीण्डर
4. मु. गमेरी विधवा जेता बलाई निवासी हिंगवानिया तहसील भूपालसागर
5. भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थिति : 1. श्री के.सी.तुलछिया, वादी अधिवक्ता

:: निर्णय ::

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह कि ग्राम हिंगवानिया तहसील भूपालसागर के हल्के बैरूनी में आ.सं. 700 रकबा 0.47 है., आ.सं. 701 रकबा 0.06 है., आ.सं. 704 रकबा 0.07 है., आ.सं. 705 रकबा 0.78 है. किता 4 रकबा 1.38 है. स्थित है जो चालू जमाबंदी में वादी का नाम 2/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण का 1/3 हिस्सा संयुक्त खातेदारी में अंकित है। विवादित आराजियात में से 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण के पिता जेता पिता गंगाराम को वादी की गोद की माता मु. घीसी व वादी ने सम्वत 2029 में विक्रय किया था तथा आ.सं. 700 रकबा 0.47 है. पर कब्जा दिया था तभी से वादी व प्रतिवादीगण के बीच विभाजन होकर सम्वत 2029 से प्रतिवादीगण का पिता जेता आ.सं. 700 पर काश्त करता आ रहा है उसके मरने के बाद तेता के उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण आ.सं. 700 पर काश्त करते आ रहे हैं इस प्रकार आ.सं. 700 प्रतिवादीगण के हिस्से चली आ रही है तथा बकाया आराजियात वादी के हिस्से में चली आ रही है वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त अनुसार आराजियात का विभाजन करने को कहा लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन करने को तैयार नहीं है दिनांक 30.01.2016 को [illegible] जबकि विभाजन नहीं होने से लगान जमा कराने व अन्य राजकीय कार्यों में तकलीफ [illegible] इसलिये विभाजन कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादीगण विवादित आराजियात पर [illegible] का कब्जा हटाने पर आमदा है तथा वादी के तन्हा कब्जे में दखलअन्दाजी करते रहते है दिनांक 30 [illegible] 2016 को भी विवाद किया इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है नही तो वादी को अपार क्षति होगी। वादकरण दिनांक 30.01.2016 को पैदा होकर [illegible] बाद प्रतिदिन हो रहा है। अतः वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण के विभाजन की डिक्री इस अमर की [illegible] की जावे कि वादपत्र की कॉलम सं. 1 में वर्णित मौजा हिंगवानिया के हल्के बैरूनी की आ.सं. 701 रकबा 0.06 है., आसं. 704 रकबा 0.07 है., आ.सं. 705 रकबा 0.78 है. वादी को विभाजन से दिलाई जावे वादी के नाम पर जमाबंदी में तन्हा खातेदारी में अंकित कराई जावे तथा आ.सं. 700 रकबा 0.47 है. प्रतिवादीगण को विभाजन में दिलाई जावे तथा तन्हा चालू जमाबंदी में अंकित फरमाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:22:17 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.07.2017 के द्वारा तहसीलदार, भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। तहसीलदार, भूपालसागर के द्वारा वादी एवं प्रतिवादी को अग्रिम सूचना पत्र जारी कर पटवार हल्का एवं भू अ. निरीक्षक, आकोला के साथ राजस्व रिकार्ड व मौका निरीक्षण कर बंटवारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पत्रांक/भू.अ./2024/1213 दिनांक 04.12.2024 से प्रेषित किया गया, जो शामिल पत्रावली है। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी ने निवेदन किया कि उक्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा करने में कोई आपत्ति नहीं है एवं अंतिम डिक्री जारी की जावे। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दिये जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा –

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा	ल्गान
1	श्री घीसा दत्तक पुत्र रामा बलाई सा. देह खातेदार रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा आकोला	705 700/1	0.7800 0.1400	16.38 2.94
	योग	2	0.9200 है.	19.32
2	अनिता पुत्री घासीलाल 13/144 सा.देह घासीलाल पुत्र मणा 1/16 रेगर सा.देह घीसीबाई पत्नी जेता 1/3 रेगर सा. देह माधुरी पुत्री घासीलाल 13/144 रेगर सा. देह रतनलाल पुत्र जेता 1/3 रेगर सा. देह सरोज पुत्री घासीलाल 13/144 सा. देह खातेदार	700/2 701 704	0.3300 0.0600 0.700	6.93 1.26 1.47
	योग	3	0.4600 है.	9.66

उक्त आराजियातों पर रहन पूर्वानुसार यथावत रहेगा।

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को राजस्व रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावे। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(पुनीत कुमार गेलड़ा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

Signature Not Verified

Digitally signed by Punit Kumar Gelra
Date: 2025.03.18 17:22:17 IST
Reason: SelfAttested